हनी एफपीओ कार्यक्रम: नफेड

drishtiias.com/hindi/printpdf/honey-fpo-programme-nafed

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने **राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) के **हनी किसान उत्पादक संगठन (FPO-Farmer Producer Organisation) कार्यक्रम** का उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिंदु

- एक **उत्पादक संगठन (PO-Producer Organisation)** प्राथमिक उत्पादकों (किसान, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि) द्वारा गठित एक क़ानूनी इकाई है।
- FPO, PO का एक प्रकार है, जिसमें किसान सदस्य होते हैं।
- **मधुमक्खी पालन (Apiculture)** का अभिप्राय मधुमक्खियों को नियंत्रित करने और उन्हें संभालने की मानवीय गतिविधि से होता है।
- यह कार्यक्रम FPO के गठन और संवर्द्धन के तहत शुरू किया गया है।
    - यह 10,000 नए FPO को बनाने के लिये एक नई केंद्रीय योजना है।
    - इसके तहत, **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन सलाहकार और फंड मंजूरी समिति (National Level Project Management Advisory and Fund Sanctioning Committee)** ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को 2020-21 के लिये FPO क्लस्टर आवंटित किये थे।
        - प्रारंभ में **लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ(Small Farmers Agri-business Consortium), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation)** और **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD-National Bank for Agriculture and Rural Development)** FPO को बनाने और बढ़ावा देने के लिये तीन कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी।
        - NAFED को चौथी राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
        - यदि राज्य चाहें तो **कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture, Cooperation and Farmer's Welfare)** के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी को भी नामित कर सकते हैं।
    - FPO को **समूह आधारित व्यावसायिक संगठनों (Cluster Based Business Organizations)** द्वारा विकसित किया जाएगा।

- NAFED पाँच राज्यों **पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश** और **राजस्थान** में मधुमक्खी पालकों के लिये FPO स्थापित करने में मदद करेगा
    पहला हनी FPO मध्य प्रदेश में **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (National Beekeeping and Honey Mission)** के तहत पंजीकृत किया गया है।

लाभ:

- वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन में कौशल उन्नयन।
- शहद और संबद्ध मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे मधुमक्खी के मोम, प्रोपोलिस, शाही जेली, मधुमक्खी जहर आदि के प्रसंस्करण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता उन्नयन।
- संग्रह, भंडारण, बॉटलिंग और विपणन केंद्रों में सुधार करके बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- FPO का प्रचार और गठन कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने के लिये पहला कदम है।

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा अन्य प्रयास:

- सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और आदिवासी उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है।
- सरकार ने **आत्मनिर्भर अभियान** के तहत मधुमक्खी पालन क्षेत्र में 500 करोड़ रु. का आवंटन किया।
- **चलती-फिरती मधुवाटिका (Apiary on Wheels):**
    यह मधुमक्खियों को पालने एवं उनके बक्सों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission-KVIC)** की एक अनूठी पहल है।
- **राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (National Bee Board)** ने NBHM के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये चार मॉड्यूल बनाए हैं।
    - इसके तहत 30 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है साथ में उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
    - मिनी मिशन-1 और मिनी मिशन-2 इस मिशन के तहत योजनाएँ हैं।
- सरकार ने **मीठी क्रांति (Sweet Revolution)** के भाग के रूप में NBHM का शुभारंभ किया।
    मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2016 में **'मीठी क्रांति'** को शुरू किया गया था।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(Khadi and Village Industries Commission):

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग **'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम-1956'** के तहत एक **सांविधिक निकाय (Statutory Body)** है।
- यह भारत सरकार के **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises)** के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.